अपील संख्या 308/2017 (2017/00266)

प्रहलाद पुत्र स्व0 मोजी जाति जाट निवासी कालूवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा हाल मुक्ता प्रसाद कॉलोनी 9/30, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. इन्द्रपाल } पुत्रगण विजयसिंह
2. अरविन्द }
3. ज्योति } पुत्रियां विजयसिंह
4. रचना }

जाति जाट निवासीयान 5 केएचआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. विद्यादेवी पत्नि विजयसिंह
6. मायादेवी पुत्री महावीर
7. भरीदेवी पुत्री महावीर
8. गीता पत्नि महावीर
9. शंकरलाल पुत्र जगदीश
10. भूपसिंह पुत्र महावीर
11. गुड्डीदेवी पत्नि जगदीश
12. अनिल कुमार पुत्र जगदीश
13. कृष्णा देवी पत्नि धर्मपाल
14. सोनु पुत्र धर्मपाल
15. कालूराम पुत्र धर्मपाल
16. पार्वती पुत्री धर्मपाल
17. वीरपाल पुत्री धर्मपाल

जाति जाट निवासी 5 केएचआर माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2012 बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी प्रकरण संख्या 568/12 बअनवानी विजयसिंह बनाम श्योकोरी आदि

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2,4,5,6 ता 11, 13 ता 16

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं रेस्पो0 सं0 1 के पिता व रेस्पो0 सं0 5 के पति विजय सिंह पुत्र मनीराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट बअनवानी विजयसिंह बनाम श्योकोरी आदि प्रकरण सं0 568/12 इस आश्य के साथ पेश किया कि वादी विजयसिंह के दादा पन्नालाल के नाम चक नं0 5 केएचआर पटवार हल्का माणक टिब्बी के खाता सं0 169 संवत–2067–70 में कुल 3.655 है0 आराजी मय खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के दादा पन्नाराम के कोई औलाद नहीं थी। वादी के पिता मनीराम को पन्नाराम ने अपने जीवनकाल में खोले लिया था। पन्नाराम का एकमात्र वारिस वादी का पिता मनीराम ही था। उक्त वर्णित आराजी में वादी 1/5 हिस्सा व अन्य प्रतिवादी अपना अपना हिस्सा काश्त करते आ रहे है। वादी पैतृक संपति में अपना 1/5 हिस्सा खातेदार काश्तकार है जिसे जरिये घोषणा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु अनुतोष चाहा। वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने पर कोई उज्र व एजराज नहीं होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

2. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 के पिता विजयसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया जिसमें अंकित किया कि पन्नाराम ने विजयसिंह के पिता मनीराम को अपने जीवनकाल में खोले लिया था। पन्नाराम फौत हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण वादी के भाई, बहन एवं परिवार के सदस्य है। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर अपीलाधीन दावा डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने जो वंशावली पेश की है वह सही नहीं है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस का सजरा खानदान अदालत मातहत में पूर्ण नहीं दर्शाया गया है। अपीलांट के पड़दादा सुखराम के दो पुत्र पन्नाराम व सुल्तान थे। पन्नाराम पुत्र सुखराम करीब 70 वर्ष पूर्व लाओलाद फौत हो चका है तथा सुल्तान पुत्र सुखराम भी फौत हो चुका है। सुल्तान के तीन पुत्रीयां चन्दों, गुड्डी, व गागो (फौत) है तथा पांच पुत्र पृथ्वी, दोलतराम, मोजीराम, रामचन्द्र व मनीराम है। अपीलांट सुल्तान के पुत्र मोजीराम का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो जाने के कारण अपीलांट के दादा सुल्तान के सभी वारिसान को प्राप्त होनी थी। परन्तु रेस्पो0 सं0 1 पिता व रेस्पो0 सं0 5 के पति विजय सिंह ने एक विधि विरूद्ध दावा अदालत मातहत में स्व0 सुल्तान के सभी वारीसान को पक्षकार ना बनाकर अपने पिता मनीराम को स्व0 पन्नाराम को खोलायत पुत्र होने का तथ्य अंकित किया हैं, जबकि स्व0 पन्नाराम का स्व0 मनीराम खोलायत पुत्र नहीं है और ना ही अदालत मातहत में वादी ने कोई खोलानाम पेश किया है। अदालत मातहत ने पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किये बिना विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। स्व0 पन्नाराम के नाम से चक नं0 5 केएचआर में कुल 3.655 है0 कृषि भूमि गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में एक अर्जीदावा अर्न्तगत 88 आरटीए अदालत मातहत में रेस्पो0 सं 10/प्रतिवादी सं0 2 ने बअनवानी भूपसिंह बनाम विजयसिंह वाद सं0 339/2011 पेश किया जो अदालत मातहत में दिनांक 07.10.11 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उपरोक्त अर्जीदावा में अपीलांट ने उपस्थित आकर एक प्रा0प0 आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 04.11.11 को पेश किया। दिनांक 23.01.12 को वादी/रेस्पो0 भूपसिंह के उपस्थित होकर दावा नोटप्रेश किया। इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23.01.12 को दावा खारिज फरमाया गया। उपरोक्त अर्जीदावा अनवानी भूपसिंह बनाम विजयसिंह प्र0 सं0 339/2011 खारिज होने के पश्चात उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में पूर्ववर्ती निर्णित दावे के पक्षकारों द्वारा वादी बदलकर एक अन्य दावा बअनवानी विजयसिंह बनाम श्योकोरी आदि दावा सं0 568/12 अदालत मातहत में दिनांक 26.09.2012 को पेश हुआ। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दुरभिसंधि कर इकबालदावा पेश किया गया। इसी अधारा पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08.10.12 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि पन्नाराम एवं सुल्तान आपस में भाई थे और मनीराम को पन्नाराम ने गोद लिया था। गोद लेना हिन्दु धर्म में पुरानी परम्परा है जो पुराने समय से हिन्दु रिति–रिवाज के अनुसार प्रचलित है। पन्नाराम ने मनीराम को धार्मिक रिति–रिवाज के अनुसार गोद लिया था जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया। गोदनामा के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेजों का होना आवश्यक नहीं है। अपीलांट के कथन के अनुसार पन्नाराम की मृत्यु 70 वर्ष पूर्व हो चुकि है, जिससे सपष्ट है कि पन्नाराम की मृत्यु 1947 में हो चुकि है। अपील में अपीलांट ने जो वारिसनामा पेश किया है वो हरियाणा के है, अपीलांट एवं पक्षकारन जहां रहते है वहां की पंचायत के दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में भूपसिंह ने जो दावा पेश किया था उसमें भी मनीराम को

Web Copy - Not Official

अभिलेख में अंकित कृषि भूमि जरिये डिक्री अधीनस्थ न्यायालय मनीराम के समस्त वारिसान के नाम से सन 2013 में दर्ज हो चुकि है। अभिलेख की इस स्थिती को ज्ञान अपीलार्थी को हमेशा से ही रहा है परन्तु इसके बावजूद भी इस डिक्री को चुनौती नहीं दी गई। इसी कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में स्व0 मनीराम के वारिसान के मध्य सन् 2011 में एक वाद शीर्षक भूपसिंह बनाम विजयसिंह वाद सं0 339/2011 अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ था जिसमें अपीलार्थी उपस्थित आया था। उक्त वाद में भी पन्नाराम द्वारा मनीराम को गोद लेने एवं उसका एकमात्र वारिस होने के तथ्य को प्रकट किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने श्री पन्नाराम के हक व हिस्सा की भूमि में अपने कथित हक होने का अथवा स्व0 मनीराम के स्व0 श्री पन्नाराम का दत्तक पुत्र होने के कथन का कोई विरोध नहीं किया व न ही पन्नाराम की भूमि में कथित हक होने संबंधी घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिती में सपष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री से व्यथित होने का कथन असत्य तौर पर अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे में कोई तनकी कायम नहीं की गई एवं इकबालदावा होने के कारण अलग से कोई गवाहों के बयान नहीं करवाये गये। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय यथावत रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि विवाद ग्रस्त भूमि पन्नाराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी जिसे अपीलाधीन निर्णय से वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में घोषणा करते हुए खातेदारी दी गई। वादी द्वारा पन्नाराम का जो सजरा खानदान बताया है उसके स्वयं को खोले जाने के हवाले से बताते हुए अपने परिवार के सदस्यों के नाम डिक्री करवायी। अपील में अपीलांट ने बताया की जो सजरा खानदान वादी ने दावे में अंकित किया है वो गलत है। अपीलांट और उसका परिवार पन्नाराम के नजदीकी रिश्तेदार है जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया व दावा डिक्री करवा लिया। अपील में अपीलांट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें इन्हीं पक्षकारन के मध्य इसी भूमि के संबंध में पूर्व में भूपसिंह द्वारा एक दावा अनवानी भूपसिंह बनाम विजयसिंह दावा सं0 339/11 पेश किया गया था जिसे नोट प्रेश में खारिज करवा लिया। अपीलांट का कथन है कि उस दावे में अपीलांट द्वारा प्रा0 प0 आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया था। इसलिए वाद को नोट प्रेश में खारिज करवा लिया एवं पुनः नया वाद पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया। पूर्व के दावे के दस्तावेज के अवलोकन एवं दावे से संबंधित

दस्तावेज/वाद पत्र/प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 के अवलोकन से सपष्ट होता है की अपीलांट और उसके परिवार के सदस्य वाद में आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाते हुए वादी विजय सिंह ने वाद अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर डिक्री करवाया जो न्योयोचित नहीं है। जहां तक लिमिटेशन का प्रशन है अपीलांट द्वारा 96 सीपीसी के प्रा0 पत्र एवं धारा 5 लिमिटेशन प्रा0 पत्र एवं शपथ पत्र के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वादी द्वारा वाद जिस तरह से प्रस्तुत कर डिक्री करवाया गया उस अनुसार अपीलांट को जानकारी होना संभव प्रतीत नहीं होता, अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में धारा 96 सीपीसी प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही उपरोक्त वर्णन के अनुसार अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाता है कि वादग्रस्त भुमि के संबंध में अपीलांट और अपील में अंकित सजरा खानदान के अनुसार सभी सदस्य आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार बनाते हुए इनको साक्ष्य लिये जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायलाय के समक्ष दिनांक 02.07.2019 को उपस्थित हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

(मूलचन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official